न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/24/2018

सौराब खां उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खोहरी तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

उपखण्ड अधिकारी नगर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नगर दि0 25.06.2018 प्रकरण संख्या 24/2018 सरकार बनाम सौराब खां अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 21.10.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नगर के आदेश दिनांक 25.06.2018 के खिलाफ पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नगर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2018 बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत एकतरफा पारित किया गया है जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के आदेश खण्ड 8 (2) की अवहेलना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध लंबित प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक नगर द्वारा बिना मौके व साक्ष्य सबूतों तथा उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन के बिना कार्यालय में ही एकतरफा रिपोर्ट तैयार

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

की गई है। जांच रिपोर्ट में फर्द मौका रिपोर्ट व भौतिक सत्यापन किये बिना ही समस्त कार्यवाही की गई है जबकि मौके पर अपीलान्ट की राशन सामग्री का स्टॉक पूरा था। तहत न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की गई है, जो गैर कानूनी है। जांच रिपोर्ट पर किसी भी उपभोक्ता के हस्ताक्षर व बयान नही लिये गये है। जांच रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 में अपीलान्ट पर किसी भी उपभोक्ता का वितरण रजिस्टर में इन्द्राज कर उसे राशन सामग्री नही देने तथा कालाबाजारी का कोई आरोप नहीं है। एपीएल व अन्तोदय के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा डबल राशनकार्ड धारियो के विरूद्व शिकायत की गई थी किन्तु तहत न्यायालय द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के विरूद्व कोई कार्यवाही नही की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि अपीलान्ट के नाम से दो दुकाने है, सही नहीं है। अपीलान्ट एक ही दुकान का डीलर है जबकि दूसरी दुकान महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति खोहरी द्वारा संचालित की लाती है। इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 7,11,14,15 एवं 1/ग का किस प्रकार उल्लंघन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलान्ट पर लगाये गए आरोप निराधार व असत्य हैं। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने व प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने प्रार्थना की है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत खोहरी तहसील नगर के उपभोक्ताओं के द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि ग्राम पंचायत खोहरी में दो राशन की दुकाने है जो कि क्रमशः सौराब खां व महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति द्वारा चलायी जा रही हैं, जबकि दोनों राशन दुकानों को सौराब खां डीलर ही चला रहा है। उक्त डीलर कैरोसीन 4 लीटर का इन्द्राज कर 3 लीटर ही वितरण करता है तथा 4 किग्रा गेहूं प्रति यूनिट से व अधिकतम कार्ड पर 20 किग्रा ही राशन वितरण करता है व रिकार्ड में वितरण ज्यादा दिखाकर गेहूं की कालाबाजारी करता है। शिकायत के सबंध में जांच में पाया कि भौतिक सत्यापन में 116 लीटर कैरोसीन व 5 किग्रा गेहूं कम पाया गया व इन उपभोक्ताओं के राशन वितरण से सबंधित बयान लिये गये व अपीलांट द्वारा 4 उपभोक्ताओं के माह अप्रेल 2016 में अन्तोदय वितरण रजिस्टर में दोहरी प्रविष्टि कर 70 किग्रा गेहूं का फर्जी इन्द्राज किया गया है। राशन डीलर द्वारा 6 अन्तोदय के उपभोक्ताओं को 35–35 किग्रा गेहूं का इन्द्राज रजिस्टर में किया गया है। इसी प्रकार महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति के वितरण रजिस्टर में इन्हीं उपभोक्ताओं के नाम 105 किग्रा गेहूं का फर्जी रिकार्ड संधारित कर गेहूं का दुरूपयोग किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को दिनांक 03.06.2016 को निलम्बित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक नगर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 को रिकार्ड अनुसार जांच में कई अनियमितताऐं पाई गई जिनमें अन्तोदय एवं एपीएल के वितरण रजिस्टरों में समान इन्द्राज पाये गये है। जिनसे 375 किग्रा गेहूं व 116 लीटर कैरोसीन की कालाबाजारी कर गबन किया गया है व आवश्यक वस्तुओं के वितरण में

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

गंभीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए डीलर के विरूद्ध पुलिस थाना सीकरी में एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गई है। पैरोकार रसद ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश सही है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के विरूद्व 375 किग्रा गेहूं व 116 लीटर कैरोसीन का दुरूपयोग कर अनियमितता करने के सबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस अनुसंधान में जारी है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में अंकित किया है कि कुछ उपभोक्ताओं द्वारा एपीएल व अन्तोदय के दोहरे राशनकार्ड से खाद्यान्न का लाभ लिया जा रहा। इस सम्बन्ध में अनैतिक रूप से दोहरा लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्व विभाग को नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। अपीलान्ट को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का भी कोई मौका नही दिया गया है। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का भी कोई मौका नही दिया गया है। तहत पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.4.2018 के बाद कोई भी प्रोसिडिंग अंकित नही है। इस प्रकार किसी साक्ष्य के अभाव में आरोप सिद्व नही हो सकते। अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है जो कि समर्थन के योग्य नही रहता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते है

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विदेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि उपखण्ड अधिकारी नगर प्रकरण में पुनः सुनवाई कर प्रकरण का नियंमानुसार निस्तारण करे । राशन डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस उपखण्ड अधिकारी नगर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 21.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर